


24/11/2020

अभिलेख उपस्थापित

देवदा को निर्गम नोटिस करने हेतु
तेजपुर बैंक ऑफ इंडिया कागजात के फ्लोच 802/MAA/69-
2020-2/ग दिनांक 02/11/2020 के द्वारा प्रतिवेदन किया गया
है देवदा का बैंक से लिया गया ऋण राशि का अंतर का
प्रतिवेदन है अतः इनके नोटिस नवी निर्गम नहीं करने का
अनुशेष किया गया है।

अतः प्राप्त अनुशेष पत्र के आलेख में
अतः नोटिस का कार्रवाई समाप्त की जाती है।




भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बसिया, (गुमला)